


तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या: 34 / 2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए
21.01.2025	<p>प्रार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 3(तीन) के वकील उपस्थित। चूंकि मूल निगरानी आवेदन आज निर्णित हो चुका है। ऐसी स्थिति में, यह स्थगन प्रार्थना पत्र अब प्रभावहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 97(2) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"> श.ति. जिला कलक्टर सिरोही (राज.)</p>	